Ph.No. 0151 - 2543419 (O)
2549348 (Fax)
regrajuvas@gmail.com

सूचना का अधिकार
RIGHT TO INFORMATION

RAJASTHAN UNIVERSITY OF VETERINARY AND ANIMAL SCIENCES, BIKANER

Dr. Vishnu Sharma
Vice-Chancellor

प्रथम अपील संख्या 123/2018

Arul George Scaria,
National Law University, Delhi
Dwarka Sector-14,
New Delhi-110078
Mob: 8527262232

अपीलार्थी

बनाम

कुलसचिव एवं लोक सूचना अधिकारी,
राजस्थान पशुचिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय,
बीकानेर

प्रत्यर्थी

अपील प्रस्तुत करने की दिनांक 27.08.2018
अपील में निर्णय की दिनांक 25.09.2018

निर्णय

अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक 15.06.2018 (विश्वविद्यालय में प्राप्ति दिनांक 02.07.2018) के द्वारा कुलसचिव एवं लोक सूचना अधिकारी, राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर से चाही गयी सूचना के क्रम में प्रेषित कुलसचिव एवं लोक सूचना अधिकारी के पत्रांक F(983)/RAJUVAS/Reg/RTI/2018/316 दिनांक 30.07.2018 के विरूद्ध यहं अपील प्रस्तुत की गयी है।

प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार से है कि अपीलार्थी/आवेदक द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत आवेदन पत्र दिनांक 15.06.2018 (विश्वविद्यालय में प्राप्ति दिनांक 02.07.2018) प्रस्तुत कर सूचना चाही गयी। कुलसचिव एवं लोक सूचना अधिकारी के पत्रांक F(983)/RAJUVAS/Reg/RTI/2018/316 दिनांक 30.07.2018 के द्वारा अपीलार्थी/आवेदक को प्रत्युत्तर भिजवाया गया, जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

Arul George Scaria,
National Law University, Delhi
Dwarka Sector-14,
New Delhi-110078
Mob: 8527262232

Contd.

विषयः—सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत सूचना उपलब्ध करवाने बाबत।

प्रसंगः—आपका प्रार्थना पत्र दिनांक 15.06.2018 (विश्वविद्यालय में प्राप्ति दिनांक 02.07.2018) एवं प्रार्थना पत्र दिनांक 02.07.2018 (विश्वविद्यालय में प्राप्ति दिनांक 18.07.2018)

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक प्रार्थना पत्र में वर्णित बिन्दुओं के क्रम में लेख है कि आप द्वारा वांछित सूचनाएँ प्रश्नात्मक स्वरूप में चाही गई है। प्रश्नों के उत्तर देना सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की परिधि में नहीं आता है। सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 2(J) में वर्णित *'सूचना'* की परिभाषा अनुसार प्रश्न सूचना की श्रेणी में नहीं आते। इसके अलावा ***रिट पीटीशन सं. 419/2007 डॉ. सेल्सा पिण्टों बनाम गोवा राज्य सूचना आयोग*** के प्रकरण में माननीय बम्बई उच्च न्यायालय द्वारा ***निर्णय दिनांक 03.04.2008*** से माननीय बम्बई उच्च न्यायालय द्वारा अवधारित किया जा चुका है कि लोक सूचना अधिकारी प्रश्नों का उत्तर देने हेतु उत्तरदायी नहीं है। साथ ही आप द्वारा जिस स्वरूप में सूचना चाही गई है उस स्वरूप में अभिलेखों में संधारित नही है। सूचनाओं का सृजन करना सूचना का अधिकार अधिनियम की परिधि में नही आता है।

यदि उपरोक्त कार्यवाही से आप संतुष्ट नहीं है तो पत्र प्राप्ति के 30 दिवस में माननीय कुलपति एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी, राजस्थान पशुचिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बिजय भवन पैलेस, पं. दीन दयाल उपाध्याय सर्किल के पास, बीकानेर पिन—334001 (राज.) के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत कर सकते हैं।

अपीलार्थी ने कुलसचिव एवं लोक सूचना अधिकारी, राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर के पत्रांक 316 दिनांक 30.07.2018 के द्वारा प्रेषित प्रत्युत्तर से असन्तुष्ट होकर यह अपील प्रस्तुत कर सूचना देने की प्रार्थना की है। अपीलार्थी को विश्वविद्यालय के पत्रांक F(अ.123/18)VCS/RAJUVAS/RTI/2018/233 दिनांक 11.09.2018 के द्वारा सुनवाई हेतु दिनांक 25.09.2018 नियत की गयी होना अवगत करवाया गया। अपीलार्थी नियत तारीख पेशी की अनुपस्थित रहे। कुलसचिव एवं लोकसूचना अधिकारी की ओर से पक्ष प्रस्तुत कर अवगत करवाया गया कि अपीलार्थी/आवेदक द्वारा सूचनाएं प्रश्नात्मक स्वरूप में चाही गयी व प्रश्नों के उत्तर देना सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की परिधि में नही आता है, सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 2(J) में वर्णित "सूचना" की परिभाषा अनुसार प्रश्न सूचना की श्रेणी में नही आते साथ ही यह भी अवगत करवाया कि आवेदक द्वारा जिस स्वरूप में सूचना चाही गयी है उस स्वरूप में अभिलेखों में संधारित नही है व सूचना का सृजन करना सूचना का अधिकार अधिनियम की परिधि में नही आता है तथा लोक सूचना अधिकारी द्वारा रिट पिटीशन संख्या 419/2007 डॉ. सेल्सा पिण्टों बनाम गोवा राज्य सूचना आयोग के प्रकरण में माननीय बम्बई उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 03.04.2008 में की गई अवधारणा कि "लोक सूचना अधिकारी प्रश्नों का उत्तर देने हेतु दायी नही है" की और भी ध्यान आकर्षित कर निर्धारित समयावधि में अपीलार्थी/आवेदक को प्रत्युत्तर प्रेषित कर दिया गया होना भी अवगत करवाते हुए अपील खारिज करने की प्रार्थना की गयी।

उक्त वर्णित तथ्यों, तर्को, संबधित अभिलेख व नियमों के परिप्रेक्ष्य में अधोहस्ताक्षरकर्ता इस निष्कर्ष पर पहुँचते है कि कुलसचिव एवं लोकसूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को उचित प्रत्युत्तर प्रेषित किया गया है। अतः उक्त तथ्यों व आधारो एवं उक्त वर्णित निर्णय के प्रकाश में अपील अपीलार्थी खारिज योग्य होने से खारिज की जाती है। निर्णय खुले चैम्बर में सुनाया गया। निर्णय प्रति उभयपक्षों को सूचनार्थ प्रेषित की जावे।

P/C Attested.

(डॉ. विष्णु शर्मा)
कुलपति एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी,
राजुवास, बीकानेर

कुल सचिव
राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान
विश्वविद्यालय बीकानेर